

13

फर्द अहकाम

(नियम 13)

GCMS

2020/00013

07/01/2021

अज्ज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

रोजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्री.....धुडा.....
 हलका.....निवेलकोट..... पुत्र श्री.....श्रीराम.....जाति.....ब्राह्मण.....
 निवासी.....निवेलकोट.....

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.13/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका.....<u>निवेलकोट</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा.....<u>निवेलकोट</u> के खसरा नंबर <u>177</u> रकबा <u>900 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>गे.मु. गोरठ</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-बाड़मेर</u></p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली भाण पेश हुई। गैरसायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैरसायल ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल को एक और सुवलर डिमा जाकर पत्रावली दिनांक <u>13-8-2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-बाड़मेर</u></p>	<p><u>धुडा राम</u> <u>प.प्रिावलकोट</u></p>

13-8-2020


पत्रावली भाग पेश हुई। और सामान्य अनुपास्थि।
पखारी हल्का अनुपास्थि। पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिगाधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। और सामान्य
अनुपास्थि। पखारी हल्का अनुपास्थि।
और सामान्य को अतिक्रमों को चोषित करने
हुए पत्रावली फेसल सुनार हो।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली हो। निर्णय सुले प्राप्तालय में
सुनाया जाय। पत्रावली फेसल सुनार
होकर डाखेक दफ्तर हो।

तहसीलदार सिगाधरी
जिला-बाड़मेर


पं. निम्बलकर

सिगाधरी की ओर
जिला-बाड़मेर